94. हम, अपील के अधीन उच्च न्यायालय के उस निर्णय और आदेश में ऐसी कोई कमी नहीं पाते हैं जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय के निर्णय और आदेश की पुष्टि की है, जिसमें इस न्यायालय से हस्तक्षेप करने की ईप्सा की गई है । उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध फाइल अपीलों को सही ही खारिज किया है ।

95. इसलिए, ये अपीलें खारिज की जाती हैं ।

अपीलें खारिज की गईं ।

क.

[2021] 1 उम. नि. प. 55

करुलाल और अन्य

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य

[2011 की दांडिक अपील सं. 316]

9 अक्तूबर, 2020

न्यायमूर्ति एन. वी. रमना, न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति ऋषिकेश राय

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 302, 148 और 149 – हत्या – छह अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा प्राणघातक आयुधों से लैस होकर मृतक पर हमला किया जाना – मृतक की मृत्यु हो जाना – मृतक के नातेदार साक्षियों तथा अन्य साक्षी द्वारा अभियुक्तों को घटनास्थल से आयुधों के साथ भागते हुए देखा जाना – नातेदार साक्षियों के साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि – संधार्यता – जहां नातेदार प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों का परिसाक्ष्य सभी तात्विक विशिष्टियों पर संगत और सत्य पाया गया

हो और उनके साक्ष्य की परस्पर संपुष्टि होने के साथ-साथ अन्य प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के साक्ष्य से भी संपुष्टि हुई हो, वहां ऐसे नातेदार साक्षियों के साक्ष्य के आधार पर की गई दोषसिद्धि को अनुचित नहीं कहा जा सकता है ।

दंड संहिता, 1860 – धारा 302, 148 और 149 – हत्या – छह अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा प्राणघातक आयुधों से लैस होकर मृतक पर हमला किया जाना – मृतक की मृत्यु हो जाना – पक्षकारों के बीच पुरानी दुश्मनी होना – नातेदार प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि – संधार्यता – पक्षकारों के बीच पुरानी दुश्मनी अपराध का स्पष्ट हेतु तो प्रदान करती है किंतु यदि प्रत्यक्षदर्शी नातेदार साक्षी अन्यथा भरोसेमंद पाए जाते हैं तो दुश्मनी स्वयमेव उनके विश्वसनीय साक्ष्य को त्यक्त करने का आधार नहीं हो सकता है और उसके आधार पर दोषसिद्धि की जा सकती है क्योंकि मृतक से नातेदारी होने का आवश्यक रूप से यह अभिप्राय नहीं है कि ऐसे साक्षी दोषी व्यक्तियों को छोड़कर निर्दोष व्यक्तियों को मिथ्या रूप से फंसाएंगे ।

इस अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि मृतक अपने खेत में मौजूद था और उसका पुत्र निकट ही पशु चरा रहा था । उसने अचानक अपने पिता के चीखने की आवाज सुनी और देखा कि अभियुक्त आयुधों से लैस होकर उसके पिता पर आक्रमण कर रहे थे । शोरगुल सुनकर मृतक की पुत्री और अभि. सा. 9 भी घटनास्थल पर पहुंचे । उन्हें देखकर अभियुक्त भाग गए । जब क्षतिग्रस्त को अस्पताल ले जाया जा रहा था तो रास्ते में मृतक की मृत्यु हो गई । पुलिस थाने में घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई गई । अन्वेषण पूर्ण होने पर छह अभियुक्तों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के साथ पठित धारा 148 और 302 के अधीन आरोप पत्र फाइल किया गया । विद्वान् विचारण न्यायालय ने साक्ष्य का मूल्यांकन करने पर यह पाया कि छह अभियुक्तों ने (लाला सहित, जिसकी मृत्यु हो गई है) प्राणघातक आयुधों से लैस होकर मृतक माधवजी पर आक्रमण करने के लिए अवैध रूप से जमाव किया था । न्यायालय ने प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के साक्ष्य पर विचार करते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि अभियुक्तों द्वारा मार्मिक अंगों पर क्षतियां अपने सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करते हुए पहुंचाई गई थीं । इसके पश्चात्

यह अभिनिर्धारित किया गया कि अभियुक्त व्यक्तियों ने साशय मृतक को घातक क्षतियां कारित की थीं और तद्नुसार उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के साथ पठित धारा 302 के अधीन दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया । अपील में उच्च न्यायालय ने तीन प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों को अविश्वसनीय ठहराने का प्रयत्न करने वाले अपीलार्थियों के अभिवाक् को यह मत व्यक्त करते हुए नामंजूर कर दिया कि जबकि यह संभव हो सकता है कि प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों ने वास्तविक हमले को न देखा हो किंतु चूंकि वे माधवजी की सिसकियां सुनने पर तुरंत खेत में पहुंचे थे, इसलिए उनका यह परिसाक्ष्य कि अभियुक्त प्राणघातक आयुधों से लैस थे और हमले के कुछ पश्चात् घटनास्थल से भाग गए थे, त्यक्त नहीं किया जा सकता है । इसके पश्चात्, यह निष्कर्ष निकाला गया कि विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए दोषसिद्धि के निर्णय में कोई खामी नहीं है और तद्नुसार दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील खारिज कर दी गई । अभियुक्तों द्वारा उच्च न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर उच्चतम न्यायालय में अपील फाइल की गई । उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – किसी भी दशा में, मृतक का नातेदार होने का आवश्यक रूप से यह अर्थ नहीं है कि वे निर्दोष व्यक्तियों को मिथ्या रूप से फंसाएंगे । नातेदार साक्षी का परिसाक्ष्य, यदि सत्य पाया जाता है, तो दोषसिद्धि का आधार हो सकता है और इस न्यायालय के पास यह विश्वास करने का प्रत्येक कारण है कि अभि. सा. 3 और अभि. सा. 12 तुरंत घटनास्थल पर मौजूद हो गए थे और अभियुक्तों की अपने हाथों में विभिन्न घातक आयुधों के साथ शनाख्त की थी । (पैरा 19 और 20)

यदि साक्षी अन्यथा भरोसेमंद हैं, तो पुरानी दुश्मनी होने से कोई परिसाक्ष्य स्वयमेव अस्वीकार्य नहीं बन जाएगा । वास्तव में, रंजिश की पृष्ठभूमि अपराध के लिए एक स्पष्ट हेतु देती है । इसलिए इस पहलू से इस न्यायालय के निर्धारण के अनुसार, प्रस्तुत मामले में प्रतिरक्षा पक्ष को कोई सहायता नहीं मिलती है । अपीलार्थी के काउंसेल ने यह भी दलील दी कि साक्षियों में से कुछ ने अभियोजन के पक्षकथन का समर्थन नहीं किया था और उन्हें पक्षद्रोही घोषित किया गया था । किंतु इस मामले में ऐसा पर्याप्त साक्ष्य और भरोसेमंद परिसाक्ष्य है जिससे

अभियुक्तों के विरुद्ध मामले का स्पष्ट रूप से समर्थन होता है और अभियोजन के पक्षकथन को केवल इसी आधार पर असफल होने की आवश्यकता नहीं है । हो सकता है कुछ साक्षी अपने स्वयं के कारणवश अभियोजन के वृत्तांत का समर्थन न करें और ऐसी स्थिति में न्यायालयों के लिए यह आवश्यक है कि वे इस बात का अवधारण करें कि क्या अन्य उपलब्ध साक्ष्य से व्यापक रूप से आरोप साबित होता है या नहीं । इस मामले में, यह दिखाई देता है कि अभियोजन का वृत्तांत तर्कपूर्ण है और उन तीन प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों द्वारा समर्थन किया है जिन्होंने घटना का अविचल रूप से ब्यौरा दिया था । उनके परिसाक्ष्यों की संपुष्टि चिकित्सा साक्ष्य द्वारा होती है । विद्वान् विचारण न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के साक्ष्य पर विस्तारपूर्वक चर्चा की थी और एक तर्कसंगत निष्कर्ष पर पहुंचे थे, जो विश्वासोत्पादक है । अत: हमारा यह मत है कि पक्षद्रोही साक्षियों से अपीलार्थियों की दोषसिद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । उपरोक्त आधार पर अग्रसर होते हुए और उस रीति की सावधानीपूर्वक परीक्षा करने पर, जिस रीति में विद्वान् विचारण न्यायाधीश ने साक्ष्य का विश्लेषण किया था और अपना निर्णय दिया था, इस न्यायाल के निर्धारण के अनुसार अपीलार्थियों को दोषसिद्ध करने का ठीक ही आदेश किया गया था और उच्च न्यायालय द्वारा इसे ठीक ही कायम रखा गया था । (22, 23 और 24)

अवंलबित निर्णय

		पैरा
[2018]	(2018) 7 एस. सी. सी. 429 : **खुर्शीद अहमद** बनाम **जम्मू और कश्मीर राज्य** ;	20
[1995]	(1995) 1 एस. सी. सी. सप्ली. 363 : **सुशील और अन्य** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** ;	21
[1972]	(1972) 3 एस. सी. सी. 201 : **उत्तर प्रदेश राज्य** बनाम **सम्मन दास** ;	19
[1953]	ए. आई. आर. 1953 एस. सी. 364 : **दलीप सिंह** बनाम **पंजाब राज्य** ।	18

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2011 की दांडिक अपील सं. 316.

1999 की दांडिक अपील सं. 1637 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, इंदौर न्यायपीठ के तारीख 23 जून, 2009 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

हाजिर होने वाले पक्षकारों की ओर से	सुश्री अंकिता चौधरी, उप महाधिवक्ता, सर्वश्री टी. महिपाल, अर्जुन गर्ग और (सुश्री) श्रुतिका गर्ग

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति ऋषिकेश राय ने दिया ।

न्या. राय – यह अपील पांच अभियुक्तों अर्थात् करूलाल (अभि.-5), अमरा (अभि.-6), कचरु (अभि.-7), सुरताराम (अभि.-8) और भागीरथ (अभि.-9) द्वारा फाइल की गई है । उन्होंने 1999 की दांडिक अपील सं. 1637 में तारीख 23 जून, 2009 के उस निर्णय और आदेश को चुनौती दी है, जिसके द्वारा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, इंदौर न्यायपीठ ने भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में भारतीय दंड संहिता) की धारा 149 के साथ पठित धारा 148 और 302 के अधीन अपीलार्थियों की द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश, मंदसौर (जिसे इसमें इसके पश्चात् "विद्वान् विचारण न्यायालय" कहा गया है) द्वारा आदेशित दोषसिद्धि और ऐसी दोषसिद्धि के लिए पारिणामिक दंडादेश का अनुमोदन किया है ।

2. अभियोजन का पक्षकथन यह है कि तारीख 18 अगस्त, 1993 को लगभग 8-8.30 बजे पूर्वाह्न में मृतक माधवजी अपने खेत में मौजूद था और उसका पुत्र भंवर लाल (अभि. सा. 3) निकट ही पशु चरा रहा था । भंवर लाल ने अचानक अपने पिता के चीखने की आवाज सुनी और देखा कि अमरा, कचरु, करुलाल, सुरताराम, लालू (जिसकी अब मृत्यु हो चुकी है) और भागीरथ कुल्हाड़ी, तलवार, फरसा, लाठी आदि से उसके पिता पर आक्रमण कर रहे थे । शोरगुल सुनकर मृतक की पुत्री शामबाई (अभि. सा. 13) और कानीराम का पुत्र भंवर लाल (अभि. सा. 9) तथा बाबू लाल (अभि. सा. 12) भी घटनास्थल पर पहुंचे । उन्हें देखकर अभियुक्त भाग गए । भंवर लाल ने फिर एक बैलगाड़ी की व्यवस्था की और अपने क्षतिग्रस्त पिता को नारायणगढ़ की ओर ले गया । जब वे

अभियुक्तों के मकानों से होकर जा रहे थे तो बादामबाई, मुन्नाबाई, रमीबाई, सीताबाई और वेनीराम पुत्र कचरु ने गाड़ी को रोक लिया और अभि. सा. 3 को रिपोर्ट दर्ज कराने से रोकने की कोशिश की और उन्होंने जान से मारने की भी धमकी दी । किंतु चूंकि अन्य व्यक्ति इकट्ठा हो गए थे, इसलिए गाड़ी नारायणगढ़ की ओर जा सकी थी । रास्ते में माधवजी की मृत्यु हो गई । भंवर लाल और बाबू लाल शव के साथ नारायणगढ़ पुलिस थाना पहुंचे और घटना के चार घंटे के भीतर लगभग 11.55 बजे पूर्वाह्न में रिपोर्ट दर्ज की । पुलिस थाने और घटनास्थल के बीच की दूरी लगभग आठ किलोमीटर है ।

3. अन्वेषण पूर्ण होने पर छह अभियुक्तों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के साथ पठित धारा 148 और 302 के अधीन आरोपपत्र फाइल किया गया । चार अन्य अर्थात् बादामबाई, मुन्नाबाई, रमीबाई और सीताबाई को भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के अधीन आरोपित किया गया था क्योंकि उन्होंने अभिकथित रूप से इत्तिलाकर्ता के रास्ते में बाधा डाली थी और धमकी दी थी जब वे बैलगाड़ी में क्षतिग्रस्त के साथ जा रहे थे ।

4. विचारण न्यायाधीश ने भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के अधीन आरोपित चार महिलाओं के विरुद्ध साक्ष्य का मूल्यांकन करने के पश्चात् यह अभिनिर्धारित किया कि इत्तिलाकर्ता के रास्ते में बाधा डालने और जान से मारने की धमकी देने का यह आरोप साबित नहीं किया गया है और तद्नुसार उनकी दोषमुक्ति का आदेश दिया ।

5. इसके पश्चात् उन अभियुक्तों के विरुद्ध साक्ष्य पर विचार किया गया, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के साथ पठित धारा 148 और 302 के अधीन आरोपित किए गए थे । अभियोजन पक्ष ने अपने पक्षकथन को साबित करने के लिए 15 साक्षियों की परीक्षा की, जिनमें से अभि. सा. 1 अभियुक्तों की गिरफ्तारी का साक्षी था । चार अन्य अर्थात् किशनलाल (अभि. सा. 6), प्रभुलाल (अभि. सा. 7), भंवर लाल (अभि. सा. 9) पुत्र कानीराम और नानू राम (अभि. सा. 13) पक्षद्रोही हो गए और अभियोजन के पक्षकथन का समर्थन नहीं किया । डा. पी. एन. श्रीवास्तव (अभि. सा. 2) ने मृतक के शव की शव-परीक्षा की थी और उसके शरीर पर निम्नलिखित नौ क्षतियां पाई थीं :–

"(1) सिर की दायीं तरफ किसी नुकीली वस्तु से 4 इंच x 2 इंच x 1/2 इंच का विदीर्ण घाव ।

(2) दाएं ट्यूमर पर मिश्रित अस्थिभंग और इसके चारों ओर सूजन, जो कि सख्त थी और किसी कुंद वस्तु से कारित की गई प्रतीत होती थी ।

(3) दायीं रेडियोअलना हड्डी का अस्थिभंग जो किसी कुंद वस्तु द्वारा कारित किया गया था ।

(4) बाएं ट्यूमर घाव का मिश्रित अस्थिभंग, जो किसी कुंद वस्तु द्वारा कारित किया गया था ।

(5) ऊपरि बायीं भुजा पर 2 इंच x 1 इंच x 1/2 इंच का कटने का घाव, बायीं बाहु की हड्डी कटी हुई थी और सूखा हुआ रक्त था जो किसी धारदार वस्तु द्वारा कारित किया गया था ।

(6) बायीं 'अलना' का मिश्रित अस्थिभंग जिसका रक्त सूखा हुआ था और किसी सख्त कुंद वस्तु से कारित किया गया था ।

(7) दाएं टखने पर 2 इंच x 2 इंच x 1 इंच का कटने का घाव, जिसका रक्त सूखा हुआ था और जो किसी सख्त और कुंद वस्तु से कारित किया गया था जिसके परिणामस्वरूप धमनियां कट गई थीं ।

(8) दायीं टिबिया और फबूला पर किसी सख्त और कुंद वस्तु से कारित मिश्रित अस्थिभंग ।

(9) बायीं जांघ पर शिराओं और उर्विका धमनियों के कटने सहित 2 इंच x 2-1/2 इंच का कटने का घाव, जिसका रक्त सूखा हुआ था और जो किसी सख्त और काटने वाली वस्तु से कारित किया गया था ।"

6. डाक्टर के अनुसार, मृत्यु सख्त, कुंद और धारदार आयुधों से पहुंचाई गई क्षतियों के कारण हुए रक्तस्राव और सदमे के परिणामस्वरूप हुई थी । उन्होंने प्रतिपरीक्षा के दौरान निम्नलिखित राय भी व्यक्त की :–

"माधव की मृत्यु उसके शरीर पर पहुंची विभिन्न क्षतियों के संचयी प्रभाव के कारण हुई थी । अंतर्जंघिका, फेबुला, बहि:प्रकोष्ठिका और अलना और ह्यूमर हड्डी की क्षतियां घातक नहीं होंगी जब तक कि वे गंभीर न हों । संख्या 1 पर दी गई क्षति में कोई अस्थिभंग नहीं पाया गया था । यदि कोई व्यक्ति नाले में गिरता है और उसके नीचे पड़े हुए पत्थरों से क्षतिग्रस्त होता है तथा यदि उसके हाथ और पैर उन पत्थरों से टकराते हैं तो फेबुला, अंतर्जंघिका, बहि:प्रकोष्ठिका और अलना में उसके परिणामस्वरूप अस्थिभंग होना संभव है ।"

7. भंवर लाल (अभि. सा. 3), बाबूलाल (अभि. सा. 11) और श्यामकलाबाई (अभि. सा. 12) घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी थे । मृतक के पुत्र भंवर लाल ने अपने परिसाक्ष्य में यह कथन किया कि तारीख 18 अगस्त, 1993 को सबेरे वह जब निकटवर्ती खेत में अपने बैलों को चरा रहा था तो उसे माधवजी की दर्द से कराहने की आवाज सुनी और जब वह अपने पिता की ओर दौड़ा तो इस साक्षी ने लाला, करू, अमरु, कचरु, सूरतराम और भागीरथ को अपने पिता पर आक्रमण करते हुए देखा । उसकी बहिन श्यामकलाबाई (अभि. सा. 12) भी खेत में पहुंची । अभि. सा. 3 के अनुसार, लाला और अमरु लाठियों से लैस थे, सूरत राम चाकू लिए हुए था, कचरु के पास तलवार थी, करूजी फरसे जैसे धार वाली कुल्हाड़ी लिए हुए था और भागीरथ भी कुल्हाड़ी लिए हुए था । मृतक का पुत्र भागा-भागा घर आया और एक बैलगाड़ी की व्यवस्था की, जिसमें क्षतिग्रस्त माधवजी को डाला गया और फिर वे नारायणगढ़ पुलिस थाने गए जहां उन्होंने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई । अभि. सा. 3 ने यह भी उल्लेख किया कि जब वह बैलगाड़ी लाने के लिए गया था, उससे पूर्व क्षतिग्रस्त माधवजी ने खेत में ही उसे यह बताया था कि लाला, अमरु, कचरु, सूरत राम और भागीरथ ने उस पर हमला किया था ।

8. श्यामकलाबाई (अभि. सा. 12) मृतक की पुत्री है । जब वह खेत की ओर जा रही थी तो उसने मदद के लिए अपने पिता की कराहने की आवाज सुनी थी, जो यह चिल्ला रहा था कि लाला जी के पुत्र उस पर हमला कर रहे हैं । वह घटनास्थल की ओर भागी और अपने भाई भंवर लाल (अभि. सा. 3) को देखा और बाबूलाल (अभि. सा. 11) भी

घटनास्थल पर पहुंच रहा था । उसने अपने पिता को क्षतिग्रस्त हालत में देखा और अभियुक्त अपने हाथों में विभिन्न आयुधों के साथ भाग रहे थे । वह अपने क्षतिग्रस्त पिता और अपने भाई के साथ बैलगाड़ी में गई थी और उसने यह कथन किया कि नारायणगढ़ के रास्ते में माधवजी की मृत्यु हो गई थी ।

9. घटना के दिन बाबूलाल (अभि. सा. 11) मृतक के निवास-स्थान पर रात व्यतीत करने के पश्चात् अपने गांव की ओर जा रहा था । उसने सबेरे माधवजी के साथ चाय पी थी, जो उसके पश्चात् अपने खेत की ओर चला गया था । थोड़ी दूर जाने के पश्चात्, इस साक्षी ने माधवजी की यह चिल्लाने की आवाज सुनी कि उसे मारा जा रहा है । जब अभि. सा. 11 दौड़कर खेत की ओर गया तो उसने अभियुक्तों को प्राणघातक आयुधों से माधवजी पर हमला करते हुए देखा । माधवजी को उसके हाथों और पैर पर अन्य क्षतियों के अतिरिक्त कुल्हाड़ी के प्रहार से सिर पर एक क्षति पहुंची थी । इस साक्षी ने क्षतिग्रस्त को उसके पुत्र (अभि. सा. 3) द्वारा हांकी गई बैलगाड़ी में बैठाया । यह साक्षी पैदल बैलगाड़ी के पीछे-पीछे चल रहा था । माधवजी की नारायणगढ़ की ओर जाते समय मृत्यु हो गई थी ।

10. विद्वान् विचारण न्यायालय ने साक्ष्य का मूल्यांकन करने पर यह पाया कि छह अभियुक्तों ने (लाला सहित, जिसकी मृत्यु हो गई है) प्राणघातक आयुधों से लैस होकर मृतक माधवजी पर आक्रमण करने के लिए अवैध रूप से जमाव किया था । न्यायालय ने प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों, अभि. सा. 3 और अभि. सा. 12 (मृतक के बालक) के साक्ष्य पर विचार करते हुए तीसरे प्रत्यक्षदर्शी साक्षी (अभि. सा. 11) को रेखांकित किया, जो नातेदार नहीं था । विचारण न्यायालय ने अभि. सा. 3 के साक्ष्य में पाई गई थोड़ी-सी विसंगति पर भी चर्चा की और यह उल्लेख किया कि उसकी मुख्य परीक्षा और प्रतिपरीक्षा डेढ़ वर्ष के लंबे अंतराल के पश्चात् की गई थी । तथापि, प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के रूप में उसका परिसाक्ष्य अन्य दो प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के अनुरूप पाया गया था ।

11. इसी प्रकार, विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा श्यामकलाबाई (अभि. सा. 12) का साक्ष्य भी विश्वसनीय पाया गया था क्योंकि

आक्रमण करने के स्थल पर उसकी मौजूदगी की अभि. सा. 3 और अभि. सा. 11 (प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों) द्वारा पुष्टि की गई थी और उन्होंने सभी तात्विक विशिष्टियों पर एक-दूसरे की संपुष्टि की थी ।

12. राम सिंह (प्रति. सा. 1) और मंगी लाल (प्रति. सा. 2), जिन्होंने यह कथन किया था कि माधवजी को क्षति दुर्घटनावश नाले में गिरने से पहुंची थी, के प्रतिरक्षा वृत्तांत पर विद्वान् विचारण न्यायालय ने यह उल्लेख किया कि प्रति. सा. 2, जो गांव का चौकीदार था, कभी घटनास्थल पर नहीं गया था और न ही उसने माधवजी के साथ हुई अभिकथित दुर्घटना के बारे में पुलिस को इत्तिला दी थी, जो उसे ग्राम चौकीदार होने के नाते अपने कर्तव्य के सामान्य अनुक्रम में करना चाहिए था । इसी प्रकार, प्रति. सा. 1 का साक्ष्य भी अविश्वसनीय पाया गया था क्योंकि उसने भंवर लाल के साथ पुलिस थाने में जाने का दावा किया था किंतु संबंधित प्रदर्श में प्रति. सा. 1 का शिकायतकर्ता भंवर लाल के साथ जाने का कोई वर्णन नहीं है ।

13. गिरने के कारण क्षतियां पहुंचने की संभाव्यता पर डा. पी. एन. श्रीवास्तव (अभि. सा. 2) के साक्ष्य पर इन दोनों प्रतिरक्षा साक्षियों के परिसाक्ष्य की तुलना में चर्चा की गई थी । विद्वान् विचारण न्यायाधीश ने यह उल्लेख किया कि डा. श्रीवास्तव ने मात्र यह स्वीकार किया था कि क्षतियां कुछ ऊंचाई से गिरने से पहुंच सकती थीं । किंतु इसके पश्चात् विद्वान् न्यायाधीश द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से यह अभिलिखित किया गया कि डाक्टर ने कभी भी यह कथन नहीं किया था कि क्षतियां दुर्घटनावश गिरने के परिणामस्वरूप पहुंची थी । वास्तव में, प्रतिरक्षा पक्ष ने कभी सुझाव नहीं दिया था कि माधवजी के शरीर पर क्षतियां अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा किए गए हिंसक आक्रमण के परिणामस्वरूप नहीं पहुंची थी । तद्नुसार, यह निष्कर्ष निकाला गया कि अभियुक्तों द्वारा मार्मिक अंगों पर क्षतियां अपने सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करते हुए पहुंचाई गई थीं ।

14. चूंकि अभियुक्तों ने मृतक के परिवार के साथ पुरानी दुश्मनी होने के कारण मिथ्या फंसाए जाने का अभिवाक् किया था, इस पहलू पर विस्तार से विचार किया गया था । प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के साक्ष्य और

मरणोत्तर परीक्षा रिपोर्ट का मूल्यांकन करने पर मिथ्या फंसाए जाने के प्रतिरक्षा पक्ष के अभिवाक् को असत्य पाया गया था । इसके पश्चात् यह अभिनिर्धारित किया गया कि अभियुक्त व्यक्तियों ने साशय मृतक माधवजी को घातक क्षतियां कारित की थीं और तद्नुसार उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के साथ पठित धारा 302 के अधीन दोषसिद्ध किया गया और प्रत्येक को 1,000/- रुपए के जुर्माने सहित आजीवन कारावास भुगतने और जुर्माने का संदाय न करने पर छह माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया । भारतीय दंड संहिता की धारा 148 के अधीन दोषसिद्धि के लिए, प्रत्येक अभियुक्त को 3,000/- रुपए के जुर्माने सहित तीन वर्ष का कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया था । पुन: यह उल्लेख किया जा सकता है कि छह आरोपित अभियुक्तों में से लाला की विचारण के दौरान मृत्यु हो गई थी ।

15. अपील में उच्च न्यायालय ने तीन प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों को अविश्वसनीय ठहराने का प्रयत्न करने वाले अपीलार्थियों के अभिवाक् को यह मत व्यक्त करते हुए नामंजूर कर दिया कि जबकि यह संभव हो सकता है कि प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों ने वास्तविक हमले को न देखा हो किंतु चूंकि वे माधवजी की सिसकियां सुनने पर तुरंत खेत में पहुंचे थे, इसलिए उनका यह परिसाक्ष्य कि अभियुक्त प्राणघातक आयुधों से लैस थे और हमले होने के कुछ समय पश्चात् घटनास्थल से भाग गए थे, त्यक्त नहीं किया जा सकता है । उच्च न्यायालय ने प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के परिसाक्ष्य में संगतता पाई और यह उल्लेख किया कि प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों द्वारा अभियुक्तों पर आरोपित क्षतियों की संपुष्टि चिकित्सा साक्ष्य द्वारा की गई है । इसके पश्चात्, यह निष्कर्ष निकाला गया कि विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए दोषसिद्धि के निर्णय में कोई खामी नहीं है और तद्नुसार दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील खारिज कर दी गई ।

16. हमारे समक्ष, अपीलार्थियों की ओर से विद्वान् काउंसेल, श्री टी. महीपाल ने यह दलील दी कि अभि. सा. 3 और अभि. सा. 12 के साक्ष्य को त्यक्त किया जाना चाहिए क्योंकि वे मृतक के बालक हैं । उन्होंने फिर यह दलील दी कि पुरानी दुश्मनी के कारण अपीलार्थियों को

मिथ्या रूप से फंसाया गया था । काउंसेल ने अभियोजन के वृत्तांत का समर्थन न करने वाले कुछ साक्षियों को भी निर्दिष्ट किया ।

17. दूसरी ओर, मध्य प्रदेश राज्य की ओर से विद्वान् उप-महाधिवक्ता, सुश्री अंकिता चौधरी ने यह दलील दी कि तीन प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के साक्ष्य से अभियोजन के पक्षकथन का निश्चायक रूप से समर्थन होता है । उन्होंने फिर यह दलील दी कि चिकित्सा साक्ष्य और क्षतियों से मौखिक परिसाक्ष्यों की संपुष्टि होती है । विद्वान् काउंसेल के अनुसार, दोनों समूहों के बीच कटु संबंध होने की बात आहत व्यक्ति पर आक्रमण करने के अभियुक्तों के स्पष्ट आशय को दर्शाती है ।

18. अब हम एक नातेदार साक्षी के साक्ष्यिक महत्व पर विधि पर विचार करेंगे । **दलीप सिंह** बनाम **पंजाब राज्य**[1] वाले मामले में इस पहलू पर टिप्पणी करते हुए न्यायमूर्ति विवियन बोस ने ठीक ही यह राय व्यक्त की थी कि :–

> "25. हम उच्च न्यायालय के विद्वान् न्यायाधीशों के इस मत से सहमत नहीं हैं कि दोनों प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के परिसाक्ष्य की संपुष्टि आवश्यक थी । यदि ऐसी मताभिव्यक्ति का आधार इस तथ्य पर आधारित है कि साक्षी स्त्रियां हैं और सात पुरुषों का भाग्य उनके परिसाक्ष्य पर निर्भर है, हमें ऐसे किसी नियम की जानकारी नहीं है । यदि यह इस कारण पर आधारित है कि वे मृतक की घनिष्ट नातेदार हैं, हम इस बात से सहमत नहीं हैं । बहुत से दांडिक मामलों में यह सामान्य भ्रांति होती है और रामेश्वर **बनाम** राजस्थान राज्य वाले मामले में इस न्यायालय की एक अन्य न्यायपीठ ने ऐसी ही एक भ्रांति को दूर करने का प्रयास किया था । तथापि, हम यह पाते हैं कि दुर्भाग्यवश यह भ्रांति अभी भी बनी हुई है, भले ही न्यायालय के निर्णयों में न हो, किसी न किसी दशा में काउंसेल के तर्कों में रहती है ।
>
> 26. किसी साक्षी को प्रसामान्यत: तब तक स्वतंत्र समझा जाता है जब तक कि ऐसा पुरुष या स्त्री ऐसे स्रोत से न आते हों

---

[1] ए. आई. आर. 1953 एस. सी. 364.

जिनका दूषित होना संभाव्य हो और प्रायिक तौर पर इससे यह अभिप्रेत है कि जब तक ऐसे साक्षी के पास अभियुक्त के विरुद्ध ऐसी दुश्मनी के कारण उसे मिथ्या रूप से फंसाने की इच्छा रखने का हेतु न हो । सामान्य तौर पर, एक घनिष्ठ नातेदार वास्तविक अपराधी को छोड़कर किसी निर्दोष व्यक्ति को मिथ्या रूप से नहीं फंसाएगा ।"

19. यह भी उल्लेखनीय है कि बाबूलाल (अभि. सा. 11) नातेदार साक्षी नहीं है । उसके परिसाक्ष्य से सारभूत रूप से अभि. सा. 3 और अभि. सा. 12 के साक्ष्य का सभी तात्विक विशिष्टियों में समर्थन होता है । किसी भी दशा में, मृतक का नातेदार होने का आवश्यक रूप से यह अर्थ नहीं है कि वे निर्दोष व्यक्तियों को मिथ्या रूप से फंसाएंगे । इस संदर्भ में, **उत्तर प्रदेश राज्य** बनाम **सम्मन दास**[1] वाले मामले में न्यायमूर्ति एच. आर. खन्ना द्वारा उचित ही यह मत व्यक्त किया गया था :–

"23. ..... । यह सुप्रसिद्ध है कि किसी हत्या किए गए व्यक्ति के घनिष्ठ नातेदार वास्तविक हमलावर को छोड़ने और हमलावर के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को मिथ्या रूप से फंसाने में अत्यधिक अनिच्छुक रहते हैं.....।"

20. पुनः, **खुर्शीद अहमद** बनाम **जम्मू और कश्मीर राज्य**[2] वाले मामले में इस न्यायालय के एक पश्चात्वर्ती विनिश्चय में हम में से एक न्यायमूर्ति एन. वी. रमना ने किसी नातेदार साक्षी के साक्ष्य के मुद्दे पर यह प्रख्यापित करके न्यायोचित किया था कि :–

"31. विधि में ऐसी कोई प्रतिपादना नहीं है कि नातेदारों को असत्य साक्षियों के रूप में समझा जाना चाहिए । इसके विपरीत, जब पक्षपात का कोई अभिवाक् किया जाता है तो यह दर्शित करने के लिए कारण दर्शाए जाने चाहिएं कि साक्षियों के पास वास्तविक अपराधी को बचाने और अभियुक्त को मिथ्या रूप से फंसाने का कारण था । (हरबंश कौर **बनाम** हरियाणा राज्य वाला मामला देखें) ।"

---

[1] (1972) 3 एस. सी. सी. 201.

[2] (2018) 7 एस. सी. सी. 429.

उपरोक्त पूर्व-निर्णय से पूरी तरह स्पष्ट होता है कि नातेदार साक्षी का परिसाक्ष्य, यदि सत्य पाया जाता है, तो दोषसिद्धि का आधार हो सकता है और हमारे पास यह विश्वास करने का प्रत्येक कारण है कि अभि. सा. 3 और अभि. सा. 12 तुरंत घटनास्थल पर मौजूद हो गए थे और अभियुक्तों की अपने हाथों में विभिन्न घातक आयुधों के साथ शनाख्त की थी ।

21. अपीलार्थियों की ओर से विद्वान् काउंसेल ने इसके पश्चात् नाले में गिरने से क्षतियां पहुंचने के प्रतिरक्षा पक्ष के वृत्तांत को और अभियुक्तों को पुरानी दुश्मनी के कारण फंसाने की बात को निर्दिष्ट किया । इस मुद्दे पर, हमें **सुशील और अन्य** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य**[1] वाले मामले में न्यायमूर्ति फैज़नउद्दीन की मताभिव्यक्ति का उल्लेख करने से फायदा हो सकता है, जिसमें विद्वान् न्यायाधीश ने ठीक ही यह मत व्यक्त किया था कि :–

> "8. ..... । यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि दुश्मनी एक दुधारी हथियार होता है जो दोनों ओर से काटता है । इससे अपराध कारित करने के लिए हेतु का गठन हो सकता है और साथ ही साथ यह मिथ्या फंसाने के लिए भी हेतु प्रदान कर सकती है । प्रस्तुत मामले में हेतु को सिद्ध करने के लिए साक्ष्य है और जब अभियोजन पक्ष ने अपराध में अभियुक्तों की प्रत्यक्ष अंतर्ग्रस्तता को दर्शित करने के लिए सकारात्मक साक्ष्य पेश किया हो तो हेतु महत्वपूर्ण हो जाता है । हितबद्ध साक्षियों के साक्ष्य और उन साक्षियों के साक्ष्य को जो मृतक के नातेदार हैं, केवल इसी कारण से अस्वीकार नहीं किया जा सकता है । किंतु यदि सतर्कता का नियम लागू करने के पश्चात् उनका साक्ष्य विश्वसनीय पाया जाता है और स्वतंत्र साक्ष्य द्वारा संपुष्टि की गई है तो उनके साक्ष्य को त्यक्त करने का कोई कारण नहीं है अपितु उसे विश्वसनीय होने के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए ..... ।"

22. यदि साक्षी अन्यथा भरोसेमंद हैं, तो पुरानी दुश्मनी होने से कोई परिसाक्ष्य स्वयमेव अस्वीकार्य नहीं बन जाएगा । वास्तव में, रंजिश

---

[1] (1995) 1 एस. सी. सी. सप्ली. 363.

की पृष्ठभूमि अपराध के लिए एक स्पष्ट हेतु देती है । इसलिए इस पहलू से हमारे निर्धारण के अनुसार, प्रस्तुत मामले में प्रतिरक्षा पक्ष को कोई सहायता नहीं मिलती है ।

23. अपीलार्थी के काउंसेल ने यह भी दलील दी कि साक्षियों में से कुछ ने अभियोजन के पक्षकथन का समर्थन नहीं किया था और उन्हें पक्षद्रोही घोषित किया गया था । किंतु इस मामले में ऐसा पर्याप्त साक्ष्य और भरोसेमंद परिसाक्ष्य है जिससे अभियुक्तों के विरुद्ध मामले का स्पष्ट रूप से समर्थन होता है और अभियोजन के पक्षकथन को केवल इसी आधार पर असफल होने की आवश्यकता नहीं है । हो सकता है कुछ साक्षी अपने स्वयं के कारणवश अभियोजन के वृत्तांत का समर्थन न करें और ऐसी स्थिति में न्यायालयों के लिए यह आवश्यक है कि वे इस बात का अवधारण करें कि क्या अन्य उपलब्ध साक्ष्य से व्यापक रूप से आरोप साबित होता है या नहीं । इस मामले में, यह दिखाई देता है कि अभियोजन का वृत्तांत तर्कपूर्ण है और उन तीन प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों द्वारा समर्थन किया है जिन्होंने घटना का अविचल रूप से ब्यौरा दिया था । उनके परिसाक्ष्यों की संपुष्टि चिकित्सा साक्ष्य द्वारा होती है । विद्वान् विचारण न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के साक्ष्य पर विस्तारपूर्वक चर्चा की थी और एक तर्कसंगत निष्कर्ष पर पहुंचे थे, जो विश्वासोत्पादक है । अत: हमारा यह मत है कि पक्षद्रोही साक्षियों से अपीलार्थियों की दोषसिद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

24. उपरोक्त आधार पर अग्रसर होते हुए और उस रीति की सावधानीपूर्वक परीक्षा करने पर, जिस रीति में विद्वान् विचारण न्यायाधीश ने साक्ष्य का विश्लेषण किया था और अपना निर्णय दिया था, हमारे निर्धारण के अनुसार अपीलार्थियों को दोषसिद्ध करने का ठीक ही आदेश किया गया था और उच्च न्यायालय द्वारा इसे ठीक ही कायम रखा गया था । इसे तद्नुसार घोषित किया जाता है ।

25. परिणामत:, यह अपील खारिज की जाती है ।

अपील खारिज की गई ।

जस.